

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी	वनाम	विप्रार्थी
कमलसिंह पुत्र दीपसिंह कौम राजपूत निवासी नागणासर तहसील शिव, वाड़मेर वगैरा (2)		सादुलसिंह पुत्र भंवरसिंह कौम राजपूत निवासी नागणासर तहसील शिव वाड़मेर वगैरा (07)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212)

मुकदमा नम्बर . 60 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

05.07.2021

प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री वृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 212 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 15/7/21 को पेश हो।

नोटीस जारी  
5141  
शिव

सहायक कलक्टर  
शिव (वाड़मेर)

15.07.21

पत्रावली पेश हुई।  
प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।  
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीजण के तामिलसुदा नोटिस, जिसे विप्रार्थीजण के द्वारा नोटिस लेने से मना करने के पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली कि प्रारंभ। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीजण का इन्तजार होकर आईन्दा दिनांक 16.07.21 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (वाड़मेर)

16.07.21

पत्रावली पेश हुई।  
प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।  
पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की अन्तरिम एअपक्षीय वक्त सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु आईन्दा दिनांक 22.07.2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (वाड़मेर)



25.07.25

पत्रावली पेशा वकील प्राची उपस्थित।  
पत्रावली बख्त हेतु दिनांक 20.08.25  
को पेश है।

सहायक कलेक्टर  
शिव (वाड़मेर)

20.8.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठारीन अधिकारी  
के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्यादि  
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्का  
दिनांक 11.09.25 को पेश हो।

11.09.25

पत्रावली पेशा वकील उपस्थित।  
चूंकि उक्त आवेदन का फल बाद निर्णित  
हो चुका है। प्रत्यक्ष फल बाद के निर्णित  
होने पर उक्त आवेदन का कोई अर्थिल  
नहीं होने से आवेदन इसी स्टेज पर  
खारिज किया जाता है।

पत्रावली कैबल शुक्रा डेकर नम्बर  
से कम डेकर सम्बन्धित दफ्तर ले।

सहायक कलेक्टर  
शिव (वाड़मेर)

पत्रावली पेशा वकील उपस्थित।  
चूंकि उक्त आवेदन का फल बाद निर्णित  
हो चुका है। प्रत्यक्ष फल बाद के निर्णित  
होने पर उक्त आवेदन का कोई अर्थिल  
नहीं होने से आवेदन इसी स्टेज पर  
खारिज किया जाता है।